प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 26.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5262 द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5262 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हैंसर बाजार से कालर द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति चालक (01.दीपक पुत्र बटोही निवासी दुघरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 शनि गौंड़, हो0चा0 धर्मेन्द्र कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 274 वाहनों से 3,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 26.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 274 वाहनों से 3,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

55 लाख की अवैध अफीम खेती का भंडाफोड़:- बखिरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 33 किग्रा पौधों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* की उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग व क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम पौनी में छापेमारी कर अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अली हुसैन पुत्र सई मोहम्मद निवासी ग्राम पौनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को उसके मकान से सटे खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 33 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपये आंकी गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण:-
दिनांक 26.02.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पौनी में एक व्यक्ति द्वारा अपने मकान से सटे खेत में अफीम का पौधा उगाया गया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना बखिरा पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई और मौके से अभियुक्त को 33 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:-
क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्व दवन सिंह की उपस्थिति में मकान से सटे खेत की एक क्यारी में लगे अफीम के कुल 33 किलोग्राम हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुआई की थी।

पंजीकृत अभियोग:-
मु0अ0स0 63/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 उमेश यादव, हे0का0 मोहन प्रसाद चौधरी, हे0का0 महेन्द्र कुमार शर्मा, हे0का0 अमित सिंह, का0 संजीव यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 274 वाहनों से 3,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 26.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 274 वाहनों से 3,16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 382/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सत्यम पुत्र मोलहू निवासी कोल्हुआ लकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद को मेंहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 09.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 26.02.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, म0का0 दुर्गावती खरवार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई:- गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा तामील

पुलिस अधीक्षक *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दुबे* द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। मु0अ0सं0 277/2025 धारा 2(b)(I), 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित वांछित अभियुक्त शराकत पुत्र रजमुन उर्फ लंबू निवासी ग्राम परदेसवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मा0 न्यायालय के आदेशानुसार धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा तामील की कार्रवाई ग्राम परदेसवा में संपन्न की गई।

*पुलिस द्वारा अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। जनपद पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

थाना दुधारा पुलिस की सख्त कार्रवाई:- गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री अरविन्द शर्मा* द्वारा मु0अ0सं0 794/2025 धारा 2(b)(i), (xi),3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के पंजीकृत अभियोग में वाँछित 25000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त लालचन्द यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामसवारे यादव निवासी ग्राम गुनवाखोर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को चोरहा पुलिया के पास गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 दीपनरायण शर्मा, का0 आनन्द पटेल।